दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, बुधवार 04 मार्च 2020

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक 9 मार्च को

न्याय साक्षी/रायगढ़। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग निगम के विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं एवं प्राधिकरण की योजना मिनीमाता स्वावलंबन योजना, शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना में हितग्राहियों के चयन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक 9 मार्च को दोपहर 12.30 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत की गई है।

कक्षा 10 वीं विशिष्ट हिन्दी/विशिष्ट अंग्रेजी परीक्षा में 20500 परीक्षार्थी हुए शामिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा 2020 के तहत जिले में कक्षा 10 वीं विषय विशिष्ट हिन्दी / विशिष्ट अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित हुई। जिसमें 21298 दर्ज परीक्षार्थियों में से 20500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 798 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री बघेल से गुजरात के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने की मुलाकात

» मुख्यमंत्री ने प्रदेश की संपन्न सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विरासत से कराया अवगत

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में अपर मुख्य सचिव कौशल विकास तथा महानिदेशक छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी श्रीमती रेणु जी.पिल्ले के नेतृत्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा-गुजरात कैडर के छह प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। भारत सरकार की 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजना के अंतर्गत गुजरात के अधिकारियों का यह दल 2 से 7 मार्च तक छत्तीसगढ़ राज्य के अध्ययन भ्रमण पर है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर भ्रमण दल के अधिकारियों का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें प्रदेश की संपन्न सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराया। उल्लेखनीय है कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को गुजरात के साथ जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत दोनों राज्यों के अधिकारीगण एक-दूसरे राज्य का भ्रमण अध्ययन कर रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से भ्रमण दल द्वारा दूसरे राज्य की संस्कृति, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के साथ-साथ वहां की विशिष्ट परियोजनाओं आदि के बारे में परिचित होते है। गुजरात से पहुंचे अधिकारियों के भ्रमण दल को छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा राज्य की फ्लैगशीप योजनाओं तथा इनके बेहतर क्रियान्वयन के साथ-साथ प्राकृतिक सौन्दर्य तथा संस्कृति से परिचित कराया जा रहा है। अधिकारियों के भ्रमण दल में श्री अक्षय बुदानिया, श्री अंकित पन्नू, सुश्री भापकर स्नेहल पुरषोत्तम, सुश्री हसरत जसमिन, सुश्री ममता हरेश कुमार पोपट, सुश्री शिवानी गोयल और श्री उत्सव गौतम शामिल हैं।

शिक्षाकर्मियों की होली से पहले दीवाली : मुख्यमंत्री का व्यक्त किया आभार

रायपुर। प्रदेश में संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों जिनकी संख्या लगभग सोलह हजार के आसपास है। वे काफी लम्बे समय से अपने संविलियन की राह देख रहे थे, लेकिन जैसा कि शिक्षाकर्मियों को उम्मीद थी वैसा ही सरकार ने बजट पेश करके होली से पहले दीवाली मनाने का मौका शिक्षाकर्मियों को दे दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज प्रस्तुत बजट में शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा के बाद प्रदेश के शिक्षाकर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने विधानसभा पहुंचकर बजट के ठीक बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और पंचायत मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव का इसके लिए उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक श्री विवेक दुबे ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री और सरकार के वादे पर पूरा भरोसा था और उन्होंने आज उस वादे को पूरा करके शिक्षाकर्मियों के जीवन में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन ला दिया है, जिसके लिए हम और हमारा परिवार सदैव आभारी रहेगा। शिक्षाकर्मियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री और पंचायत मंत्री समेत विधायकों को भी मिठाई खिलाकर संविलियन की घोषणा की खुशियां बांटी। शिक्षाकर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा से प्रदेश के लगभग 16 हजार से अधिक शिक्षाकर्मी के संविलियन से उन्हें अब नियमित शिक्षकों के समान एक जुलाई 2020 से वह सभी सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.केशरी ने किया स्वास्थ्य केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण

» ग्रामीण चिकित्सा सहायता को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस.एन.केशरी ने रायगढ़ जिले के खरसिया, धरमजयगढ़ और घरघोड़ा विकास खण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एंड वेलनेश सेन्टर का आकस्मिक निरीक्षण करके स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने राज्य शासन के निर्देश के अनुरूप स्वास्थ्य केन्द्रों का कायाकल्प किया गया। इसके मद्देनजर केन्द्रों की साफ -सफाई, लोगों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाई की उपलब्धता, कार्य करने की क्षमता आदि चीजों का आंकलन किया गया। ताकि स्वास्थ्य केन्द्रों की गुणवत्ता के आधार पर राज्य शासन को कायाकल्प के तहत तीन सर्वसुविधायुक्त स्वास्थ्य केंद्र का नाम भेजा जा सके।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.केशरी ने निरीक्षण के दौरान खरसिया विकास खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिंजकोट, हेल्थ एंड वेलनेश सेन्टर जोबी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरपार, नगोई, फरकानारा, धरमजयगढ़ विकास खण्ड हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर छाल और घरघोड़ा विकास खण्ड के टेण्डा नवापारा स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सीएचएमओ ने खरसिया विकास खण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोरपार के ग्रामीण चिकित्सा सहायता ओ.पी सिदार के बिना आवेदन स्वास्थ्य केन्द्र में अनुपस्थित पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की गई और बीएमओ खरसिया एस.के.राठिया को ओपी सिदार के 8 दिन का वेतन काटने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्रों के वार्ड, आपरेशन थियेटर, गहन चिकित्सा कक्ष आदि का अवलोकन किया और मरीज से रुबरु होकर उनका हालचाल जाना साथ ही मरीजों को दी जाने वाली दवाईयों के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर खरसिया विकास खण्ड के बीएमओ एस.के.राठिया, जिला सलाहकार राजेश मिश्रा, बी पी.एम.भावना महलवार, डाक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थिति थे।

शादी के नाम पर बालिका भगाकर ले जाने वाला युवक गया जेल

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा में दिनांक 02.03.2020 को 17 वर्षीय बालिका को उसके गांव के तुलसी एक्का नाम के लड़के द्वारा जबरन बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट बालिका के पिता द्वारा दर्ज कराया गया।

बालिका के पिता ने बताया है कि दिनांक 26.02.2020 को बालिका खाना खाकर अपने कमरे में सोई थी और रात्रि में कहीं चली गई जिसे खोजबीन किए पता नहीं चलने पर गांव में मीटिंग रखे थे। गांव के मीटिंग में तुलसी एक्का का बड़े पिताजी दोनों लड़की-लड़का को लेकर मीटिंग में आया। जहां तुलसी एक्का बालिका से शादी करूंगा कहकर अपने साथ लड़की को ले गया, बालिका के पिता के रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा में अप.क्र. 31/2020 धारा 363, 366 ताहि के तहत अपराध तुलसी एक्का उम्र 19 साल के विरूद्ध दर्ज कर बालिका को लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपी के पास से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया , जहां से जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है ।

» जिले के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में होंगे शिविर

विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर निःशुल्क शिविर का आयोजन

न्याय साक्षी/रायगढ़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण एवं रोकथाम अंतर्गत जागरूकता अभियान के तहत रायगढ़ जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्ण (कान)देखभाल के प्रति जागरूकता एवं कर्ण रोग से बचाव एवं उपचार की जानकारी हेतु 3 मार्च से 17 मार्च तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन.केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि छाल (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)में 3 मार्च को शिविर का आयोजन किया गया। इसी तरह 4 मार्च को तमनार, 5 मार्च को पुसौर, 6 मार्च को लोईंग, 7 मार्च को बरमकेला, 12 मार्च को रायगढ़ जतन केन्द्र, 13 मार्च को घरघोड़ा, 14 मार्च को सारंगढ़, 16 मार्च को चपले एवं 17 मार्च को लैलूंगा में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

शिविर में डॉ.दिनेश पटेल (एमएसईएनटी)अपनी सेवाएं देंगे। डॉ.केशरी ने समस्त जिलेवासियों को अधिक से अधिक संख्या में विकासखण्डवार निर्धारित तिथि एवं स्थल में पहुंचकर कर्ण रोग से बचाव एवं उपचार का लाभ लेने हेतु आग्रह किया है।

लैलूंगा में 17 वर्षीय बालिका लापता एफआईआर दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा में दिनांक 02.03.2020 को 17 वर्षीय बालिका को उसके गांव के तुलसी एक्का नाम के लड़के द्वारा जबरन बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की बालिका के पिता द्वारा दर्ज कराया गया है । बालिका के पिता ने बताया है कि दिनांक 26.02.2020 को बालिका खाना खाकर अपने कमरे में सोई थी और रात्रि में कहीं चली गई जिसे खोजबीन किए पता नहीं चलने पर गांव में मीटिंग रखे थे। गांव के मीटिंग में तुलसी एक्का का बड़े पिताजी दोनों लड़की-लड़का को लेकर मीटिंग में आया। तुलसी एक्का बालिका से शादी करूंगा कहकर अपने साथ लड़की को ले गया, बालिका के पिता के रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा में धारा 363, 366 ताहि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के स्थायी समितियों के गठन के प्रयोजन हेतु पीठासीन एवं सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्थायी समितियां (सदस्यों का निर्वाचन उनकी शक्तियों और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) के प्रयोजन हेतु पीठासीन अधिकारी एवं सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है।

कलेक्टर कार्यालय पंचायत शाखा रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पंचायत रायगढ़ के लिए सम्मिलिन तिथि 13 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से जिला पंचायत भवन रायगढ़ में आयोजित की गई है। जिसमें अपर कलेक्टर रायगढ़ आर.ए.कुरूवंशी को पीठासीन अधिकारी एवं समाज कल्याण रायगढ़ के प्रभारी उप संचालक आर.के.साहू को सहायक पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह जनपद पंचायत रायगढ़ के लिए सम्मिलिन तिथि 12 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे कार्यालय जनपद पंचायत भवन, रायगढ़ में आयोजित की गई है, जिसमें सीईओ जनपद पंचायत रायगढ़ सागर सिंह राज को पीठासीन अधिकारी एवं प्रभारी वरि.आंत.लेखा परी.एवं करा.अधिकारी शैलेन्द्र कश्यप को सहायक पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। जनपद पंचायत पुसौर के लिए सम्मिलिन 12 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से जनपद पंचायत भवन पुसौर में आयोजित की जाएगी। जिसमें सीईओ जनपद पंचायत पुसौर नितेश उपाध्याय को पीठासीन अधिकारी एवं प्रभारी वरि.आंत.लेखा परी.एवं करा.अधिकारी दिनेश साव को सहायक पीठासीन अधिकारी बनाया गया है।

जनपद पंचायत सारंगढ़ के लिए सम्मिलिन 12 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से जनपद पंचायत भवन सारंगढ़ में आयोजित की जाएगी। जिसमें सीईओ जनपद पंचायत सारंगढ़ अभिषेक बनर्जी को पीठासीन अधिकारी एवं प्रभारी वरि.आंत.लेखा परी.एवं करा.अधिकारी रामलाल जायसवाल को सहायक पीठासीन अधिकारी बनाया गया है।

जनपद पंचायत बरमकेला के लिए सम्मिलिन तिथि 12 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से जनपद पंचायत भवन बरमकेला में आयोजित की गई है। जिसमें सीईओ जनपद पंचायत बरमकेला संदीप पोयाम को पीठासीन अधिकारी एवं प्रभारी वरि.आंत.लेखा परी.एवं करा.अधिकारी मिनकेतन चौधरी को सहायक पीठासीन अधिकारी बनाया गया है।

खरसिया व पूंजीपथरा पुलिस ने पकड़ा लाखों का अवैध स्क्रैप

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया एवं थाना पूंजीपथरा क्षेत्र में दिनांक 02.03.2020 को अवैध रूप से स्क्रैप के परिवहन पर कार्यवाही कर लाखों का स्क्रेप पकड़ा गया है। दिनांक 02.03.2020 को खरसिया पुलिस द्वारा रानी सागर चौक में नाकेबंदी कर खरसिया तरफ से आ रही पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 11 ए.बी. 16 20 को रोककर चेक किया गया, चेक करने पर पिकअप में करीब 2 टन 350 किलो ग्राम कीमती करीब 4 लाख रूपये का स्क्रैप (मशीन के पाट्र्स कटा हुआ) लोड था। वाहन के चालक राजेश कुमार सतनामी पिता भुरवा राम सतनामी उम्र 26 वर्ष निवासी छतौना थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा को स्क्रैप के संबंध में कागजात पेश करने को कहने पर कोई कागजात पेश नहीं किया। लोड स्क्रैप चोरी की संपत्ति होने की अंदेशा पर खरसिया पुलिस द्वारा 41(1+4)सीआरपीसी/ 379 आईपीसी के तहत कार्यवाही की गई है। वहीं दूसरी ओर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा दिनांक 02.03.2020 के दोपहर करीब 12:30 बजे मुखबिर से मिली सूचना पर पूंजीपथरा जिंदल पार्क के पास दो ट्रक में लोड स्क्रैप को पकड़ा गया। ट्रक नंबर ओडी 17 त्र-9025 के चालक सुब्रत मेसवा पिता रूसी मेसवा 23 साल सा. खुन्टाबान्धा ओडिशा के कब्जे से 19.530 एमटी स्क्रेप कीमती 546176/ रूपये तथा ट्रक नंबर डीवीजेडएफ 4340 के चालक देवेन्द्र नायक पिता नित्यानंद नायक 34 साल सा. रंजना थाना आठमलिक ओडिशा के कब्जे से 18.810 एमटीएस स्क्रेप कीमती 526040/रू कुल 38.340 एमटीएस स्क्रेप कीमती 1072216/-रूपये जप्त किया गया है जिसे उड़ीसा की ओर से लाया जाने की सूचना पुलिस को मिली थी जिसे स्थानीय प्लांट में खपाने की योजना थी। थाना पूंजीपथरा में आरोपियों के विरूद्ध इस्त.क्र. 03/2020 धारा 41(1-4)जा.फौ./379 ताहि के तहत वाहनों को मय स्क्रेप जप्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमान्ड पर भेजा गया है।

» हेतु चार चरणों में होंगे आवेदन जमा

आर.टी.ई. के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में निजी विद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश

न्याय साक्षी/रायगढ़। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु निजी शालाओं में प्रवेश की ऑनलाईन प्रक्रिया विगत वर्ष की भांति ही ऑनलाईन होगी। सत्र 2020-21 में आर.टी.ई. के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आर.टी.ई.पोर्टल httpÑ//eduportl.cg.nic.in./rte/ में चार चरणों में आवेदन प्राप्त किये जावेंगे। जिसमें प्रथम चरण- 01 मार्च से 22 मार्च 2020, द्वितीय चरण-01 अप्रैल से 14 अप्रैल 2020, तृतीय चरण- 23 अप्रैल से 06 मई 2020 एवं चतुर्थ चरण-16 मई से 30 मई 2020 निर्धारित है।

इच्छुक आवेदक एवं अभ्यर्थी के माता-पिता व अभिभावक प्रवेश हेतु आर.टी.ई. पोर्टल httpÑ//eduportl.cg.nic.in./rte/ के माध्यम से समयावधि में लोक सेवा केन्द्र, इन्टरनेट कैफे या स्वयं ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदक दस्तावेज आवेदित निजी शाला की निर्धारित शासकीय नोडल शाला' में नोडल प्राचार्य के समक्ष अनिवार्यतः जमा करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके तथा आवेदन फार्म की एक कॉपी पावती सहित अपने पास अवश्य रखें। अभिभावक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाईन देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त एस.एम.एस. के माध्यम से उनके आवेदन पर होने वाले कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आवेदन करते समय सही तथा स्वयं के ही प्राथमिक मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करें। समस्त आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें की प्रवेश हेतु केवल एक ही आवेदन करें, प्रथम आवेदित आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसी आवेदन क्रमांक की सहायता से सुधार करें, पुनः नवीन आवेदन न करें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा किसी भी असुविधा होने पर हेल्पलाईन नम्बर 011-411-32689 पर मिस कॉल देकर समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निम्नलिखित श्रेणी के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं -

असुविधाप्राप्त समूह-जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, परिलक्षित आदिम जनजाति, परंपरागत वन वनवासी, 40 प्रतिशत शारीरिक या मानसिक दिव्यांग जिनके लिये आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र/शासकीय मेडिकल सर्टिफिकेट व दुर्बल वर्ग हेतु पूर्व में निर्धारित मापदण्डों के अतिरिक्त - दुर्बल वर्ग के परिवार (बीपीएल) अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना में सम्मिलित श्रेणी के अतिरिक्त राज्य शासन की अन्य योजनाओं में बीपीएल परिवार जारी प्रमाण पत्रों यथा अन्त्योदय कार्ड सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना - 2011 की जारी सूची में शामिल परिवार पात्र होंगे। दोनों ही समूह असुविधाप्राप्त व दुर्बल समूह'' के लिये निवास और पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बिजली का बिल, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (नगरीय निकाय का प्रमाण पत्र, अस्पताल का कार्ड, ए.एन.एम.या. आंगनबाड़ी का कार्ड, कचहरी से बना शपथ पत्र (एफिडेविट कोई एक) प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट की जानकारी आरटीई पोर्टल पर देखी जा सकेगी। अधिक जानकारी के लिये अधिकृत वेबसाईट httpÑ//eduportl.cg.nic.in./RTE (पर क्लिक कर सामने ही 2020-21 में आरटीई के तहत प्रवेश हेतु) पर देखी जा सकती है।

विशेष स्थिति में ऑफलाईन आवेदन नोडल अधिकारी के द्वारा स्वीकार किया जावेगा, जिसे ऑनलाईन कराने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की होगी। विद्यालय का क्रम दर्शाते समय मैंपींग (अधिवास क्षेत्र) मे उपलब्ध क्रमिक (निर्धारित दूरी सीमा में शाला के पोषक ग्राम क्षेत्र) विद्यालयों का ध्यान अवश्य रखा जावे तथा प्राथमिकता क्रम पर विद्यालय का नाम अंकित करें।

झगड़ा विवाद में बाइक पर लगाई आग, चक्रधरनगर में अपराध दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में दिनांक 02.03.2020 को दुर्गेश सारथी पिता रोहिदास सारथी केलो विहार कॉलोनी रायगढ़ द्वारा लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 26.01.2020 को पंजरी प्लांट अपने दोस्तों के साथ अपनी बाइक हीरो मोटर डीलक्स सीजी 13एफ 0650 में पंजरी प्लांट त्रिमूर्ति चौक गया था जहां बाइक खड़ी किया था। उसी दरमियान सुभाष राठिया और उसके भाई चंद्रशेखर राठिया से दुर्गेश सारथी का वाद विवाद हुआ। दुर्गेश सारथी अपने दोस्तों को बुलाने चला गया, इसी बीच दोनों भाई चंद्रशेखर राठिया और सुभाष राठिया ने दुर्गेश की बाईक में आग लगा दिए जिसकी जानकारी दुर्गेश को होने पर दोनों भाई वाहन की कीमत अदा करेंगे कहकर इकरारनामा किए थे परंतु गाड़ी की कीमत अदा नहीं किए। जिसके बाद दुर्गेश सारथी द्वारा थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया रिपोर्ट पर चंद्रशेखर राठिया एवं सुभाष राठिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 66/2020 धारा 435,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480